न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 163 / 2015

1 रामस्वरूप पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। (नाम हजफ दिनांक 27.06.2024)
2 सत्यवीर पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। (अपील के लंबित रहने के दौराने मृत्यु)
3 सुबे सिंह पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 श्रीमती लिछमा देवी पत्नी दाताराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। (अपील के लंबित रहने के दौराने मृत्यु)

अपीलांटस

बनाम

1 रोतान सिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 अमर सिंह पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 धर्मपाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 श्योबाई पत्नी छेलूराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। (अपील के लंबित रहने के दौराने मृत्यु)
5 मोहर सिंह पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 लीलाराम पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 रणवीर पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 बलबीर पुत्र छेलूराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 श्रीमती किताब पुत्री छेलूराम पत्नी इन्द्राराज जाति जाट निवासी बापडोली पोस्ट नांगल काठा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
10 सावित्री पुत्री छेलूराम पत्नी रामोतार जाति जाट निवासी तोताहेड़ी पोस्ट कारोता तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
11 कमला पुत्री छेलूराम पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी लिखमा पोस्ट डीस तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
12 भाती पुत्री छेलूराम पत्नी सरदारा जाति जाट निवासी बुडवास तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
13 सन्तरा पुत्री किशना पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी बुड़वास तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
14 बहादर देवी पुत्री किशनाराम पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी नांगलिया कारोता (स्यालू) पोस्ट कारोता तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
15 महेन्द्र कुमारी पुत्री किशनाराम पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी बक्सीपुर पोस्ट असामपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
16 ग्यारसी पुत्री किशनाराम पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी बक्सीपुर पोस्ट असामपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
17 इण्डियन ऑवरसीज बैंक कोलिहान नगर खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
18 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी
मुकदमा रोतान सिंह बनाम अमर सिंह आदि मु.नं. 156/2011
दिनांक 25.05.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय ओला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 156/2011 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक वाद खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 1573, 1582, 1583, 1584, 1585, 1478, 1479, 1569, 1574, 1575 वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी कैम्प कोर्ट में डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1573, 1582, 1583, 1584, 1585 कुल किता 5 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर तथा भूमि हाल खसरा नम्बर 1478, 1479, 1569, 1574, 1575 कुल किता 5 कुल रकबा 3.47 हैक्टेयर वाके सरहद गौरीर में स्थित है उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय ने एक दावा खाता विभाजन को पेश किया जो दिनांक 26.06.2013 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर अपीलान्टस को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया व अपीलान्ट संख्या 1 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर राजरूप व अपीलान्ट संख्या 3 का नाम सुबेसिंह के स्थान पर जितेन्द्र कुमार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करने का आदेश दिया व प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 18 तहसीलदार खेतड़ी से विभाजन प्रस्ताव के कुरेजात मांगे गये उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 18 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष गलत कुरेजात व विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से अंकित निर्णय कैम्प में पारित करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2013 को दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया तब तहसीलदार खेतड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक व हिस्सा के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया तहसीलदार खेतड़ी ने बिना मौके पर गये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कहने पर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.06. 2014 को आपत्ति प्रस्तुत की गई पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ती पर बहस हेतू नियत थी इसी बीच बिना अपीलान्ट को सूचना दिये ही विचारण न्यायालय ने पत्रावली गलत रूप से लोक अदालत कैम्प गौरीर में ले जाकर अपीलान्ट के आपत्ति का निस्तारण किये ही बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है कैम्प में पत्रावली रखने के संबंध में न तो अपीलान्ट को सूचित किया गया व न ही अपीलान्ट को पत्रावली कैम्प में रखने बाबत कोई जानकारी थी कानूनन तहसीलदार खेतड़ी के विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध जब अपीलान्ट का उजर था व उजरात पत्रावली में पेश किये गये थे तो पहले अपीलान्ट की आपत्ति पर निर्णय पारित करना चाहिये था। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा माना लेकिन जिस विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर निर्णय पारित किया उसमें अपीलान्ट को 1.22 हैक्टेयर जमीन ही दी गई है जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट के हिस्से में 1.47 हैक्टेयर भूमि आनी चाहिए थी इतनी ही भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के मुताबिक विवादित भूमि का विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं किया गया इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। तहसीलदार खेतड़ी विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतू स्वयं मौके पर नहीं गये बल्कि पटवारी हल्का से ही प्रस्ताव मंगवा लिये विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 कि पूर्ण पालना नहीं की गई। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 17 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे उनके द्वारा विचारण न्यायालय में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया व उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही रही है। चूंकि वे दावे में पक्षकार थे इसलिए उन्हें अपील में भी पक्षकार बनाया गया है कानूनन उनकी तलबी जारी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.05.2015 को निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(1) आरबी पेज 689 एलबी, आरआरटी 2019(2) आरबी पेज 1050 डीबी, आरआरटी 2022(2) आरबी पेज 988 डीबी, आरआरडी 1998 एचसी पेज 319, आरआरडी 1992 आरबी पेज 17, आरआरटी 2024(2) आरबी पेज 1197 डीबी, आरआरटी 2024(2) आरबी पेज 1202 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी के विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में खसरा नम्बर 1478, 1573 पर पक्षकारान द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन किये जाने पर उक्त खसरा नम्बरान को सिवायचक राजकीय घोषित किया जा चुका है अतः खसरा नम्बर 1478, 1573 को छोड़े हुए वादी का खाता विभाजन कर दिया जावें। वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.04.2014 के वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की है। अतः विचारण न्यायालय ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.04.2014 (प्रदर्श–अ, व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ब) के अनुसार अंतिम डिक्री कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी के विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में खसरा नम्बर 1478, 1573 पर पक्षकारान द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन किये जाने पर उक्त खसरा नम्बरान को सिवायचक राजकीय घोषित किया जा चुका है अतः खसरा नम्बर 1478, 1573 को छोड़े हुए वादी का खाता विभाजन कर दिया जावें। वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.04.2014 के वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की है। अतः विचारण न्यायालय ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.04.2014 (प्रदर्श–अ, व ब) के अनुसार अंतिम डिक्री कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट सुबेसिंह, लिछमा देवी रामस्वरूप के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर